

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] दिल्ली, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2010, बृहस्पतिवार/चैत्र 26—वैशाख 2, 1932 [रा.रा.रा.क्षेदि सं 14, 19]
No. 16] DELHI, APRIL 16—APRIL 22, 2010, THURSDAY/CHAITRA 26—VAISAKHA 2, 1932 [N.C.T.D. No. 14] 19]

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

आदेश

ORDERS

दिल्ली, 15 अप्रैल, 2010

Delhi, the 15th April, 2010

सं.फा. 10(1149)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/274.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शार्प मेंथोल इंडिया लि. प्लॉट नं. 9, शार्प हाउस, तीसरी मंजिल, गुजरवाला टाउन, लोकल शोपिंग कम्प्लेक्स, दिल्ली-110009, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 20,02,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20331151 से 23001150 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 2,00,250 (रूपए दो लाख दो सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1149)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/274.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Sharp Menthol India Limited, Plot No.9, Sharp House, 3rd Floor, Gujranwala Town, Local Shopping Complex, Delhi-110009 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,00,250 (Rs. Two Lac Two Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 20,02,50,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 20331151 to 23001150 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1148)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/275.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिंघल एग्रो इन्डस्ट्रीज लि., प्लॉट नं. 9, शार्प हाउस, तीसरी मंजिल, गजरवाला टाउन, लोकल शॉपिंग कम्प्लेक्स, दिल्ली-110009 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 5,00,65,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,00,001 से 8,23,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 50,065 (रुपए पचास हजार पैंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1148)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/275.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s SINGHAL AGRO INDUSTRIES LIMITED, Plot No.9, Sharp House, 3rd Floor, Gujranwala Town, Local Shopping Complex, Delhi-110009 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,065 (Rs. Fifty Thousands Sixty Five) only on the aggregate value of shares of Rs.5,00,65,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 5,00,001 to 8,23,000 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1160)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/286.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओएनजीसी विदेश लि. 601, कैलाश, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1970,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड नन-कनवरटेबल बॉण्ड जो कि डिबेन्चर सीरीज-1, के रूप में हैं, जिनकी पृथक संख्या 1 से 19,700 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 25,00,000 (रुपए पच्चीस लाख) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1160)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/286.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ONGC VIDESH LIMITED, 601, Kailash, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.25,00,000 (Rs. Twenty Five Lac) only on the aggregate value of debentures of Rs.1970,00,00,000 for issue of Unsecured, Non Convertible bonds in the nature of debentures Series-I

bearing distinctive No.1 to 19,700 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1168)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/304.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. 781, देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,97,693 से 5,17,692 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 20,000 (रुपए बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1168)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/304.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Central Electronics Limited, 781, Desh Sandhu Gupta Road, Karol Bagh, Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.20,000 (Rs.Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.2,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 4,97,693 to 5,17,692 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1157)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/305.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एच.डी. मोटर कम्पनी इंडिया प्रा. लि. 1105 अशोका इस्टेट, 24, बारखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 13,27,47,040 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20,10,001 से 21,82,259 है एवं क्लास बी इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 1,31,02,445 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,32,748 (रुपए एक लाख बत्तीस हजार सात सौ अड़तालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1157)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/305.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s H.D. Motor Company India Private Limited, 1105, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,32,748 (Rs. One Lac Thirty

Two Thousand Seven Hundred Forty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs.13,27,47,040 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 20,10,001 to 21,82,259 and Class B Equity Share Certificates with distinctive Nos. 00001 to 1,31,02,445 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1161)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/306.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोरा एग्जीम लि. 523-524, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,80,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक् संख्या 1,89,101 से 1,96,300 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 18,000 (रुपए अट्ठारह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1161)/COS(HQ)/Cons. Duty/306.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mira Exim Limited, 523-524, World Trade Centre, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.18,000 (Rs. Eighteen Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.1,80,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 1,89,101 to 1,96,300 to be issued by the said company

सं.फा. 10(1167)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/307.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अमआयंस फिनलैप (प्रा.) लि., ए-247/2, फेस-I, अशोक विहार, नई दिल्ली-110052, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 10,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक् संख्या 11,65,001 से 12,70,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,050 (रुपए एक हजार पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1161)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/307.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ambience Fincap (P.) Ltd., A-247/2, Phase-I, Ashok Vihar, New Delhi-110052 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1050 (Rs One Thousand Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,50,000

for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 11,65,001 to 12,70,000 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1159)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/308.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैक्स बुपा हेल्थ इन्श्योरेंस कम्पनी लि., मैक्स हाउस, 1 डॉ. झा मार्ग, ओखला, नई दिल्ली-110020, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपए 1,00,000 (रुपए एक लाख) जो कि उनके द्वारा अप्रैल, 2010 से जून, 2010 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No.10(1159)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/308.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Max Bupa Health Insurance Company Limited, Max House, 1, Dr. Jha Marg, Okhla, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,00,000 (Rs. One Lac) only in advance chargeable on various policies of Insurance to be issued by the said company during the period 1-4-2010 to 30-6-2010 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

By Order,
Of Chief Controlling Revenue Authority,
Government of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)

(ऊर्जा विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अप्रैल, 2010

सं. फा. 11 (86)/2007-ऊर्जा/भाग-2/1027.—दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री प्रणव कुमार रे को तत्काल नियमित आधार पर निदेशक (तकनीकी), इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लि./प्रगति पावर कॉरपोरेशन लि., के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, संयुक्त सचिव (ऊर्जा)